राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान / National Institute of Fashion Technology

हिन्दी विभाग /Hindi Deptt. निफ्ट दिल्ली केंद्र / NIFT, Delhi Campus

---

राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्यवृत्त विवरण

राजभाषा विभाग, गृह-मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बैठकों का आयोजन न केवल राजभाषा हिन्दी के अनुपालन को कार्यालय में सुनिश्चित करनां है बल्कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना भी है। तद्नुसार राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली परिसर द्वारा दिनांक 12/01/2023 को सायं 3 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान निम्नलिखित सदस्य एवं सदस्य (प्रतिनिधि) मौजूद थे:

1. श्री अमित कुमार सिंह	प्रभारी-अध्यक्ष
2. सुश्री सुप्रिया मिश्रा	सदस्य
3. श्रीमती नंदिनी दत्ता	सदस्य
4. श्री सुधीर राणा	सदस्य
5. श्री शीशपाल	सदस्य
6. श्रीमती प्रीति सिंह	सदस्य
7. श्री दीपक	सदस्य
8. सुश्री नईमा खातून	सदस्य (प्रतिनिधि)
9. सुश्री रेखा	सदस्य (प्रतिनिधि)
10. श्री प्रमोद	सदस्य (प्रतिनिधि)
11. श्री सुनील प्रजापति	सदस्य (प्रतिनिधि)
12. सुश्री रिचा खर्कवाल	सचिव

बैठक की अध्यक्षता प्रभारी-निदेशक महोदय ने सभी विभाग प्रमुखों का स्वागत करते हुए की। बैठक में आगे निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई:

- प्रभारी-निदेशक महोदय द्वारा सभी विभागों को संबोधित करते हुए पिछली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2022) में विभागों द्वारा प्रेषित की गई तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की गई। जो भी कमियाँ पाई गई, उन्हें चिन्हित करने के साथ ही सुधार हेतु विचारों को भी साझा किया गया।
- इसी के साथ 'क' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर भी चर्चा हुई और सभी विभागों को इसके अनुपालन हेतु निर्देश भी दिए गए। लक्ष्यों में आ रही कमी को दूर करने और उचित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रभारी-निदेशक महोदय ने उपस्थित सदस्यों को प्रेरित किया।
- प्रभारी-निदेशक महोदय ने उपस्थित विभाग के सदस्यों को कार्यालय संबंधित कार्यों के लिए क्लिष्ट हिन्दी के प्रयोग से बचते हुए, सरल एवं बोधगम्य हिन्दी के शब्दों एवं वाक्यों के प्रयोग करने पर बल दिया।
- इसके पश्चात तिमाही रिपोर्ट प्रोफॉर्मा के प्रथम भाग (1) **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत पिछली तिमाही के दौरान जारी कागजात,** पर चर्चा की गई। सभी विभागों को **धारा 3(3)** के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) की **धारा 3(3)** के तहत सभी दस्तावेज़ आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप से जारी किया जाना चाहिए जिसके तहत निम्नलिखित दस्तावेज़ आते हैं-: सामान्य आदेश/ General Orders, संकल्प/ Resolution, परिपत्र/ Circular, नियम/ Rules, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन/ Administrative & other Reports, प्रेस विज्ञप्तियाँ/ Press Release, संविदाएँ/ Contracts, करार/ Agreements, अनुज्ञप्तियाँ/ Licenses, निविदा प्रारूप/ Tender Form, अनुज्ञा-पत्र/ Permits, निविदा सूचनाएँ/ Tender Notices, अधिसूचनाएँ/ Notifications, और संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़-पत्र/ and Reports & documents to be laid before the Parliament. उपरोक्त सभी दस्तावेज़ों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ऐसे दिशा-निर्देश दिए गए।
- मुख्यालय से प्राप्त पत्र जो कि *मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों द्वारा अखबारों और बैनर/होर्डिंग आदि के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किए जाने वाले व्यय के संबंध में* है, के विषय में भी चर्चा कि गई और सभी विभागों को आवश्यक जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।
- प्रभारी-निदेशक महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों एवं सदस्य प्रतिनिधियों को यह भी सूचित किया कि तिमाही रिपोर्ट भरने के दौरान सभी आंकड़े सत्य एवं तथ्यपरक होने चाहिए, एवं उनकी गणना आवश्यक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर ही की जानी चाहिए।

बैठक को समापन की ओर ले जाते हुए प्रभारी-निदेशक महोदय ने उपरोक्त सभी बिन्दुओं का सार प्रस्तुत किया और राजभाषा हिन्दी में कार्य करते हुए अनुवाद संबंधी किसी भी समस्या के लिए सभी विभागों को राजभाषा विभाग एवं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की सहायता लेने को कहा।

समिति के अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही बैठक का समापन हुआ।

सुश्री रिचा खर्कवाल
(क. अनुवाद अधिकारी)

सुश्री नईमा खातून
(सी.ओ.ई)

सुश्री रेखा
(सी.ओ.ई)

श्री प्रमोद कुमार
(स्थापना)

श्री सुनील प्रजापति
(संसाधन केंद्र)

श्री दीपक कुमार
(ई.ई.)

श्री सुधीर राणा
(प्रशासन)

श्रीमती प्रीति सिंह
(सहायक निदेशक-
शैक्षणिक)

श्री शीशपाल
(वरिष्ठ सहायक
निदेशक-क्रय)

श्रीमती नंदिनी दत्त
(प्रमुख, संसाधन केन्द्र)

सुश्री सुप्रिया मिश्रा
(उपनिदेशक-
वित्त एवं लेखा)

श्री अमित कुमार सिंह
(प्रभारी-निदेशक
निफ्ट-दिल्ली परिसर)